

छत्तीसगढ़ CHHATTISGARH 24AA 764679

8/109 Pasting पर यह स्टाम्प पेपर दिनांक 8/109

20 JUN 2025 20 JUN 2025

वाद तारीख 21/10/2005 वाद
धा. 199 को पुस्तक कमांक आवेदन
6 पृष्ठ कमांक 354 से पृष्ठ
क्यांक 29 से 33 तक
..... लेकर पंजीबद्ध किया गया
304

8/109

सत्यापित-छायाप्रति
उप पंजीयक
कोटा (छ.ग.)

स्टाम्प क्र. 212 दिनांक 20/6/25

कीमत 10 शब्दों में दस रुपये

नाम विक्रेता आर. लाल पिता अनुसूचित मिश्रा

निवासी कोटा तहसील कोटा

नाम क्रेता ..... पिता .....

निवासी ..... तहसील .....

पार्टी ..... पिता .....

निवासी ..... तहसील .....

वास्ते, दस्तावेज ..... शपथपत्र

छत्तीसगढ़ शासन न्यायालय तहसील कोटा, जिला

आर. लाल
स्टांप वेंडर
कोटा, जिला-बिलासपुर

खरीदी का प्रयोजन :- शिक्षा कार्य हेतु

बेनामा कीमती मुव0 1,63,800/- रूपया बाजार कीमत मुव0 1,74,500/- एक लाख चौहत्तर-
हजार आठ सौ रूपया

मुद्रांक ए0	13088.00
जमपद ए0	1745.00
उपकर ए0	654.40
अधिक ए0	12.60
योग	15500.00





चिन्हा :- 1) राजा राम व उमर 49 की 2) मालिक राम व उमर 47 की 3) तिलक-
राम 46 की 4) सोनिया व उमर 45 की 5) सेमिया व उमर 43 की 6) तिल बाई
व उमर 40 की पिता श्री गणेश राम 7) जेठिया बाई व उमर 70 की
बेवा गणेश राम सभी जाति बिंझवार सभी निवासी कलारतरा पो0 आ0
पीपरतरा थाना वो तह0 कोटा जिला बिलासपुर पेशा कृषि ई/ 43308।

चिन्हा :- बाई सेक्रट कर्मचारी संस्था रायपुर द्वारा सचिव श्री संतोष चौबे व उमर 50 वर्ष
आ0 श्री जे0 पी0 चौबे जाति ब्राह्मण निवासी ई-7/22 अरेरा कालोनी भोपाल
म0 प्र0



राजाराम

13088=00

4. ..... 65.40

आवेदन शुल्क 12.60

योग ..... 15500=00

Sd/R. K. Tiwari

राजस्व पो० गोंडेश्वर

द्वारा उप पंजीयक कार्यालय कार्यालय

जिला बिलासपुर में दिनांक ..... 20 OCT 2005

को म.पु./म.प. ..... बजे प्रस्तुत किया गया

Sd/R. K. Tiwari

उप पंजीयक

श्री राजाराम

विरुद्ध (1) राजाराम (2) मालिक राम (3) निमल राम (4) सोनिया (5) सेमिया (6) निलकमल सभी पिता गोंडेश्वर - राम (7) जेंदिया आदि बेचा गोंडेश्वराम सभी जा.कि. बिलासपुर (आदि) आवेदन लगायत नवाई तह. पेण

हेतु - आर्डर सेट्ट कम्प्रोमाइज संस्था द्वारा हुई कार्य सचिव - श्री अंतोष पांडे आ०-श्री जे०पी० पांडे द्वारा अधिवक्ता - डी-7/22 अरेरा कालोनी भोपाल म.प्र.)

मैं/हम व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ/स्वीकार करते हैं कि उपरोक्त कथित

अंगूठा/हस्ताक्षर विशेष का निष्पादन

किया गया और मेरे/हमारे समक्ष पूर्ण

1/1638 ए/2005 कार्यालय निकम्प्रोमाइज अंतर्गत धारा 35(2) के अंतर्गत 35000/- (तैंतीस हजार) रुपये का पेनाल्टी - नोटरी लेकर श्री धनराज कांसे वकील

प्रतिलिपि शुल्क रु. 3566 अंकन शब्दों में ..... पंजीयन के बाद प्राप्त होगी।

आज तारीख .....

(1) विजय सिंह आ० राजेश्वर सिंह राजपूत आयु 45 वर्ष नगा भोपाल

(2) अभय कुमार सुना आ० श्री. आर.के. सुना तह. पेण

श्री जाय अग्रवाल निवेदक/अधिवक्ता के

विवरण के आधार पर लिया गया।

दिनांक 20 OCT 2005

Sd/R. K. Tiwari

उप पंजीयक



तफ॰ जायजाद :- वह रकबा जमीन भूमि स्वामी वाके मौजा रानीसागर प0 ब0 नं0 13 रा0 नि0 नं0 कोटा तह0 कोटा जिला किशनगंज ब0 ग0

ख नं0	रकबा	हैक्टर	लगान	किस्म भूमि
28	2·34	0·947	1·00 पै॰	बसि॰ भाठा । पसली

बवा दो // दो सकड़ - चौतीस डि॰// शून्य पाईन्ट नो सो सेतालीस हे॰// एक स्थया लगा॰ चौराहे वार्ते सतर व॰ मी॰ उक्त भूमि मे कूवा वो कुंवा नहीं है उक्त भूमि ग्राम से । कि॰मी॰ दूर है ।

चौहदी :- उत्तर मे बम्बे की भूमि दक्षिण मे आई सेक्ट की भूमि पूर्व मे पीला लाल की भूमी पश्चिम मे बम्बे की भूमि है।

टीप :- न्यायालय के राजस्व प्रकरण क्रमांक 89/ब-21/03-04 मे न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर किशनगंज के पारित आदेश दिनांक 28·7·05 के अनुसार बिक्री करने की अनुमति ।

तफ॰ मावजा :- रू0 1,65,800/- एक लाख तिरसठ हजार आठ सो रुपया मे बिक्री कर दिए 1,28,800/- रुपया नगद पतोर बयाने के भर पाए है और शेष राशि 35000/- पेतीस हजार रुपया खा0 ब0 3566 पंजाब नेशनल बैंक अचानकमार [illegible] मे दिनांक 20·10·2005 को प्राप्त कर लिया है और हेता से कुछ भी रकम पाना शेष नहीं है।

राजाराम

राजाराम

नोट ऐतीयत :- ।1। वे एसा जमीन से ब0 ग0 अ0 रा0 स0 1959 की धारा 165।6।क।7। का उलंघन नहीं होता है। ।2। वे एसा जमीन से ब0 ग0 अधिनियम सिलींग-लीमीट- एक्ट की धारा का उलंघन नहीं होता है। ।3। वे एसा भूमि से पट्टार्धीत अधिनियम 1984 के अधिकारों का दिया जाना दखरा प्राप्त नहीं है।

राजाराम

ओ॰ एन॰ राजा राम

राजाराम

मेरे समक्ष तारीख 20 OCT 2005

को दिया गया।

Sd/R. K. Tiwari

उप-पंजीयक

ओ॰ एन॰ मालिक राम

मालिकराम

मेरे समक्ष तारीख 20 OCT 2005

को दिया गया।

Sd/R. K. Tiwari

उप-पंजीयक

ओ॰

मेरे समक्ष तारीख 20 OCT 2005

को दिया गया।

Sd/R. K. Tiwari

उप-पंजीयक

ओ॰ एन॰ निलम राम

निलमराम

मेरे समक्ष तारीख 20 OCT 2005

को दिया गया।

Sd/R. K. Tiwari

उप-पंजीयक

ओ॰

सोनिया

मेरे समक्ष तारीख 20 OCT 2005

को दिया गया।

Sd/R. K. Tiwari

उप-पंजीयक

ओ॰

सोनिया

मेरे समक्ष तारीख 20 OCT 2005

को दिया गया।

Sd/R. K. Tiwari

उप-पंजीयक

ओ॰

सोनिया

मेरे समक्ष तारीख 20 OCT 2005

को दिया गया।

Sd/R. K. Tiwari

उप-पंजीयक

क्रमांक ..07.. प्रतिलिपि किस्त बंदी खतौनी आसामीवार



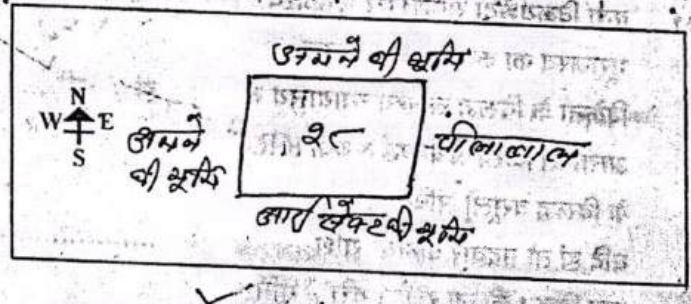
ग्राम ..रानी सागर.. प.ह.नं. ..13.. रा.नि.मं. ..कोटा..

218 तहसील ..कोटा.. जिला ..बिलासपुर..

खाता क्रमांक	नाम कास्तकार पिता/-पति का नाम एवं निवास स्थान	विक्रय शुदा भूमि क				
		खसरा नं.	हेक्टेयर	एक		
262 2003/2004	राजाराम माखिड राम तिलकु राम ची० गणेश राम. रमोलिया रमेलिया तिलक पार्टी. ची० गणेश राम. जेमिया देवा गणेश राम जाति. बिंझवार ग्राम उसार तहसील कोटा.	२८	०९४७	२.३४	१.००	..
	योग :-					

1. (अ) विक्रय संपत्ति की चतुर्सीमा - : उत्तर ..उसने की भूमि.. दक्षिण ..उसी बेचने की भूमि..
पूर्व ..पीला लाल.. पश्चिम ..उसने की भूमि..

(ब) विक्रय संपत्ति का नज़री नक्शा



2. क्या भूमि शासकीय पट्टे की है : ~~हां~~ / नहीं ..नहीं..
यदि हाँ तो कब से पट्टे पर दी गई है : वर्ष .....
3. क्या भूमि परिवर्तित है : ~~हां~~ / नहीं .....
4. भूमि सिंचित है अथवा असिंचित : ~~सिंचित~~ / असिंचित ..नहीं..
5. कौन सी फसल बोई जाती है .....
6. भूमि एक फसली है या दो फसली : (खरीफ / रबी /या दोनों) ..खरीफ..
दो फसली होने पर कौन-कौन सी फसल बोई जाती है। : एक फसली / ~~दो फसली~~ .....
7. भूमि के वर्तमान उपयोग : आवासीय / व्यवसायिक / औद्योगिक / कृषि / पडत / अर्द्धव्यवसायिक / सार्वजनिक सुविधाएं / अन्य
8. भूमि की वर्तमान स्थिति क्या है : ~~धनहा~~ / ~~परी~~ / भाठा / ~~बाड़ी~~ / आमदी / नजूल ~~कन्हार / मटासी आदि~~
9. मिसल बन्दोबस्त के अनुसार भूमि का वर्गीकरण : ~~डोरसा~~ / ~~कन्हर~~ / गभार / ~~मटासी~~ / ~~बाडी~~ अथवा अन्य
10. भूमिस्वामी (विक्रेता की जाति) : आदिवासी / ~~गैर आदिवासी~~ बिंझवार
11. भूमि वाजिब-उल-अर्ज है : हां / नहीं .....
यदि हां तो प्रयोजन .....

12. क्या भूमि के विक्रय के पूर्व उ.प.भू.रा.सं. की धारा 165 के अधीन विक्रय की अनुमति की आवश्यकता है : हां / ~~नहीं~~ ..... हां .....

यदि हां तो क्या अनुमति ली गई है : हां / ~~नहीं~~ ..... हां .....

13. क्रय / विक्रय का प्रयोजन : ~~आवास निर्माण / कृषि / व्यवसायिक निर्माण / निवेश / कालोनी विकास~~ / अन्य ✓ विक्री

14. विक्रय संपत्ति की ग्राम के बसाहट / आबादी से दूरी : ..... १ कि. मी. .....

15. क्या भूमि डब्ल्यू.बी.एम. / पक्की सडक से लगी है (रोड का नाम एवं दूरी) : ~~हां~~ / नहीं ..... नही .....

16. समीपस्थ इसी प्रकार की भूमि के बाजार मूल्य प्रति एकड : ..... 60000=00 साठ हजार रु. .....

17. सिंचाई के स्त्रोत (साधन) : ~~विद्युत पंप / डीजल पंप / कुआं / नहर / तालाब / अन्य~~ .....

18. भूमि पर किस – किस प्रजाति के कितने वृक्ष हैं : ..... ~~✗~~ .....

19. भूमि पर क्या कोई निर्माण किया हुआ है : ~~कुआं / पंप हाउस / ओपसी फार्म / मकान / नींव~~

यदि हां तो (निर्मित का क्षेत्रफल) : ..... ~~✗~~ .....

20. क्रेता विक्रेता के बीच आपसी सौदा मूल्य : ..... 60000=00 साठ हजार रु. प्रति एकड़ दर
९६३८०=०० एकुण साहव तिरसष्ठ हजार अठ्ठयाऐंशी

21. क्या विक्रयशुदा संपत्ति पर भूराजस्व, भूराजस्व का कोई बकाया अथवा विक्रेता के विरूद्ध राजस्व न्यायालय से आरोपित किसी अर्थदण्ड अथवा R.R.C के विरूद्ध वसूली लंबित है : ~~हां~~ / नहीं ..... नही .....

यदि हां तो मदवार बकाया राशि : ..... ~~✗~~ .....

22. क्या विक्रय की जा रही संपत्ति / भूमि आम निस्तार हेतु उपयोग में लाई जा रही है ?(विशेष रूप से कालोनी क्षेत्रों में) : ..... ~~✗~~ .....

उपरोक्त समस्त जानकारियां राजस्व अभिलेखों एवं स्थल निरीक्षण कर मौके की स्थिति के अनुसार अंकित की गई है, स्थल निरीक्षण दिनांक 09 / 10 / 2005 को किया गया है।

क्रेता / विक्रेता के हस्ताक्षर .....

गवाह के हस्ताक्षर .....

दिनांक .....

हवलदार 13 V 100 हस्ताक्षर पटवारी 14

ह.नं. .....

नोट :-
1. जो लागू न हो उसे काट दें। जो लागू हो उसे (✓) करें। विक्रेता के नाम को लाल स्याही से रेखांकित करें।
2. अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाये कि, स्थल निरीक्षण क्रेता / विक्रेता की उपस्थिति में किया गया है तथा इसकी पुष्टि स्वरूप क्रेता / विक्रेता के हस्ताक्षर भी लिये जावें।
3. पारदर्शिता के दृष्टिकोण से स्थल निरीक्षण के समय क्रेता / विक्रेता के अतिरिक्त कम से कम एक स्वतंत्र साक्षी के हस्ताक्षर लिये जावें।

पृष्ठ क्र. १

भूमि का क्षेत्र हेक्टेयर में एवं कर का क्षेत्र रुपये पैसों में

फसल की जानकारी किसने वर्ष की है

खाना ५ से ११ में खरीफ की जानकारी - की है

खाना ५ से ११ में रबी की जानकारी - की है

फार्म पी-II

खसरा

ग्राम रामेश्वर हल्का ०००३ रा.नि.मं. कोटा तहसील कोटा जिला विलासपुर वर्ष २००५-२००६

क्रमांक	खेजड़ला (खोल यदि भूमि खानों में सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का नाम, उसके पिता का या पति का नाम तथा निवास स्थान, अधिकार जिसके अन्तर्गत भूमिधारण की गई हो और देय राजस्व या लगान	किसी भूमिस्वामी या पट्टेदार का या किसी भौरूसी काश्तकार के उप पट्टेदार का नाम, पिता का नाम, लगान या पट्टे की रकम और उप पट्टे पर दिये गये भाग का क्षेत्रफल	मानें की भूमि						मानें के बदले जो कोलों में बोई गई फसल का नाम तथा क्षेत्रफल	टिप्पणियां
				फसल जिसमें वर्ष के दौरान में फसल उगाई गई			पड़ती का क्षेत्रफल				
				फसल का नाम	क्षेत्रफल	दुफसली क्षेत्रफल	चालू वर्ष की पड़ती	२ से ५ वर्ष तक की पड़ती	अन्य पड़ती जो कि ५ वर्ष से अधिक		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
२८	९५४७	रामाराम मालिकराम तिलक को गणेश सामियाबाई सोनिया तिलकबाई पुत्री गणेश जोजिया पता सा. खलारतराई भूमि स्वामी ६.२५ भूमिस्व		तुल्य सि अ -					०१४७		

अद्यतन दिनांक 31/01/2005

Developed By NIC

प्रतिलिपि देने वाले के हस्ताक्षर

नाम, पद एवं दिनांक

P.S. Shivastava.

(आर.एन. श्रीवास्तव)

डाटा एंट्री आपरेटर

कार्यालय तहसीलदार कोटा

जिला - बिलासपुर (छ.ग.)

तहसीलदार
कोटा

COURT FEE 2 Rs. भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

पृष्ठ क्र. 1

भूमि का ब्योरा हेक्टेयर में एवं करों का ब्योरा रुपये पैसों में

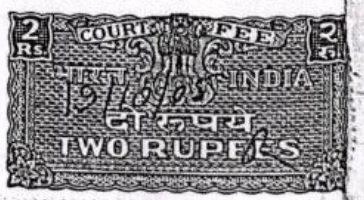
फार्म बी-1
किस्तबन्दी खतौनी (आसामीवार)

दिनांक 19/10/2004

ग्राम रानीसागर हल्का ०००१३ रा. नि. ग. कोटा तहसील कोटा जिला बिलासपुर वर्ष २००४-२००५

खाते का अनुक्रमांक	भूमिस्वामी या रइसतकीन पट्टेदार का नाम	खाते के ब्योरे		चालू और बकाया माँग				वसूलियां					हस्तान्तरण में जमा करने के ब्योरे			वर्ष की समाप्ति पर बाकी			वर्ष की समाप्ति के पश्चात की वसूलियां			
		खाते में शामिल प्रत्येक भू-मापन क्रमांक का क्रमांक	प्रत्येक भू-मापन क्रमांक का क्षेत्रफल और खाते का कुल क्षेत्रफल	किस्तों के ब्योरे	भू राजस्व	उपकर	योग	भुगतान करने वाले व्यक्ति का नाम	भुगतान की तारीख	भू राजस्व	उपकर अध्यारोप	योग	रकम जमा करने वाले का नाम	जमा करने की तारीख	चालान क्रमांक	भू राजस्व	उपकर	योग	भू राजस्व	उपकर अध्यारोप	योग	जारी की गई बकाया आवश्यक के ब्योरे
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
२४१	रामाराम मलिकराम किलकरा म पो गनेरा सामियाबाई सोनिया किलकरे पुत्री गनेरा पो०ग्रा० बेला गणेश किलकर चक्ति पत्र ला. करमसराय भाग भूमि स्वामी	२८ ४८ ४१/२ ७५ १६७ २१८ [डिडी] २११	०.९४७ ०.२४७ १.१५५ ०.२०५ ०.०४० ०.४०५ ०.०२४		६.२५०		६.२५०															
		७	२८९९																			

अद्यतन दिनांक 31/01/2005
Developed By NIC



तहसीलदार कोटा

प्रतिलिपि देने वाले के हस्ताक्षर :
नाम एवं दिनांक :
RNSrivastava
(आर.एन. श्रीवास्तव)
डाटा एंट्री आपरेटर
कार्यालय तहसीलदार कोटा
जिला – बिलासपुर (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

::अनुमति पत्र::

क्रमांक-क/ /वाद/अति0कले0/05 बिलासपुर, दिनांक- /7/05

इस न्यायालय के राजस्व प्रकरण क्रमांक 89/अ-21/03-04 में पारित आदेश दिनांक 28/7/05 अनुसार आवेदकगण राजाराम, मालिकराम, तिलकराम, सेनियाबाई, सोनियाबाई, तिलबाई, जेठियाबाई पिता/पति गणेराम जाति बिंझवार (आदिवासी) निवासी ग्राम कलारतराई के भूमि स्वामी हक की भूमि ग्राम रानीसागर प. ह. नं. 13, तहसील कोटा स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 28 रकबा 88888888888 2.34 एकड़ को गैर आदिवासी आई सेक्ट कम्प्यूटर संस्था, रायपुर के पक्ष में रूपये 70,000/- प्रति एकड़ की दर से विक्रय करने की अनुमति छ. ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(6) के अन्तर्गत निम्नांकित शर्ताधीन दी जाती है :-

1- भूमि की रजिस्ट्री तीन माह के भीतर करनी होगी ।

2- भूमि से प्राप्त राशि(बयाना राशि छोड़कर) किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा कराकर पास बुक उप पंजीयक द्वारा सत्यापित कराई जावे।

3- भूमि विवाद की स्थिति में यह अनुमति स्वमेव निरस्त हो जावेगी।

अतिरिक्त कलेक्टर
बिलासपुर (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर बिलासपुर (छ.ग.)

क्रमांक-क/ 64 /वाद/अति0कले0/05 बिलासपुर, दिनांक-28/7/05

प्रतिलिपि:-

1- उप पंजीयक, कोटा ।

2- आवेदकगण राजाराम, वगैरह ग्राम कलारतराई ।

3- क्रेता संस्था आई सेक्ट कम्प्यूटर संस्था रायपुर ।

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

28/7/05
अतिरिक्त कलेक्टर
बिलासपुर (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

::अनुमति पत्र::

क्रमांक-व/ /वा0/अति0क0/05 बिलासपुर, दिनांक- /7/05

इस न्यायालय के राजस्व प्रकरण क्रमांक 89/अ-21/03-04 में पारित आदेश दिनांक 28/7/05 अनुसार आवेदकगण राजाराम, मालिकराम, नीलकराम, सोनियाबाई, सोनियाबाई, रिलाबाई, बेठियाबाई पिता/पति मंगेराम जाति बिंझवार (आदिवासी) निवासी ग्राम कलारतराई के भूमि स्वामी हक की भूमि ग्राम रानीसागर प.ह.नं. 13, तहसील कोटा स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 28 रकबा [illegible] 2.34 एकड़ को गैर आदिवासी आई सेवट कम्प्यूटर संस्था, रायपुर के पक्ष में रुपये 70,000/- प्रति एकड़ की दर से विक्रय करने की अनुमति छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(6) के अन्तर्गत निम्नांकित शर्तों के अधीन दी जाती है :-

1- भूमि की रजिस्ट्री तीन माह के भीतर करनी होगी ।

2- भूमि से प्राप्त राशि (बयाना राशि छोड़कर) किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा कराकर पास बुक उप पंजीयक द्वारा सत्यापित कराई जावे।

3- भूमि विवाद की स्थिति में यह अनुमति स्वमेव निरस्त हो जावेगी

अतिरिक्त कलेक्टर
बिलासपुर (छ.ग.)

क्रमांक-व/ 64 /वा0/अति0क0/05 बिलासपुर, दिनांक- /7/05

प्रतिलिपि:-

1- उप पंजीयक, कोटा ।

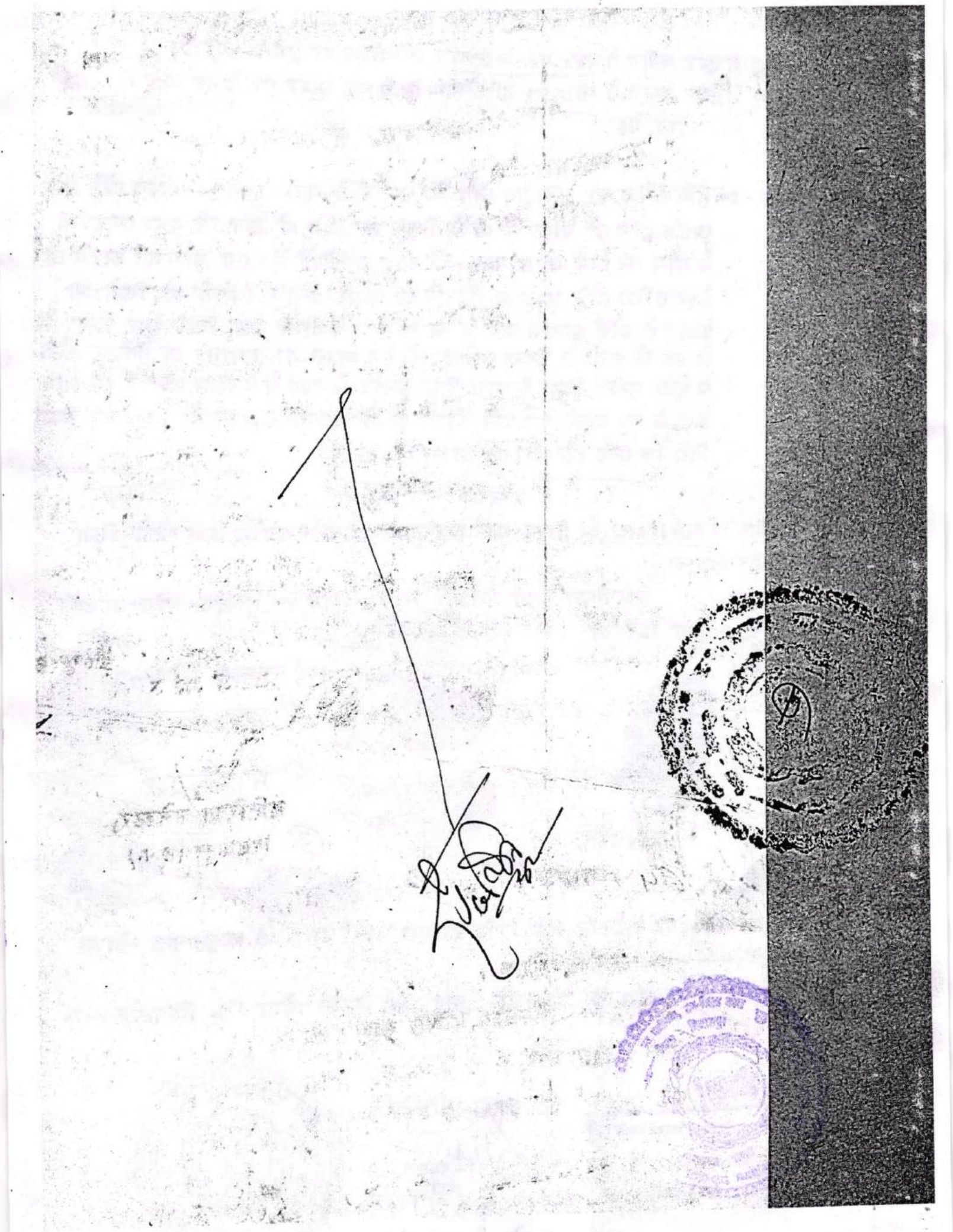
2- आवेदकगण राजाराम, वगैरह ग्राम कलारतराई ।

3- श्रीमती संस्था आई सेवट कम्प्यूटर संस्था रायपुर ।

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

28/7/05

अतिरिक्त कलेक्टर
बिलासपुर (छ.ग.)



[4] कि उक्त जमीन से सा० पं० व मुस्तान सान्त्वीका पर प्राप्त नहीं है।
[5] कि उक्त जमीन से भा० उ० अधिनियम 1900 की धारा 27 के उप बंधों का उलंघन नहीं होता है।

शर्तियत :- कि मैं सारी भूमि इस बक्से पैंतीस वर्ष के वास्ते रकम की जरूरत होने पर वापिस भूमि को लेने के वास्ते बिक्री कर दिये की क्रेता को बख्श दूंगा भी मैं दीप का क्रेता अपना नाम सभी सा० अभिलेखों में अपना नाम दर्ज कराये तो जैसा उचित समझे व्यवस्था करे मेरे या हमारे अन्य वारसानों को किसी भी प्रकार से कोई आपत्ति नहीं है ना भविष्य में होगी अगर बिक्री उक्त जमीन क्रेता के हक को दूसरे से मिल जायेगा तो मूल कीमत का नुकसानी का देनदार रहेंगे मे उक्त जमीन किसी के पास किसी प्रकार से रहन बे बकीस नहीं है कर भार मुक्त है का वास्ते हम अपने स्वेच्छा से दो गवाहों के समक्ष यह बिक्री पत्र लिखा दिये कि सनद रहे वक्त पर काम आवे ।

दुर्गाप्रसाद यादव — रोजाराम

आज दिनांक 20.10.05 कि० प्राप्त कर्ता दुर्गा प्रसाद यादव वस्तावेज लेखक कोटा जिला बिलासपुर छ० ग०

प्रमाणित किया जाता है कि इस बिक्री पत्र में कांट-छांट-ब नहीं किया गया है।

निशान अंगूठा क्रेता

(5) दुर्गा प्रसाद यादव — अंगूठा विक्रेता रोजाराम

(6) [illegible] — (1) राजाराम

(7) [illegible] — (2) मालिकराम

(3) [illegible]

(4) [illegible]

:: गवाह ::

[1] [illegible]

पिता सिंह सा० की दाबेकर सिंह जाति राजपूत "क्षत्री" सा० 45 सर्वधा नगर भोपाल

[2] [illegible]

कमल कुमार गुप्ता आ० श्री आर० पी० गुप्ता सा० मेरोड कोटा जि० बिलासपुर छ०ग०

Name of D wnlb — Durga Prasad
Licence No. — 1
Place of [illegible] — Kota
Name of [illegible]
S. No. in Register
Fee Charged
Date

सत्य-प्रतिलिपि
लेखक — वंजीवक
कोटा
20 OCT 2005

(A) Sd/ अस्पष्ट
S.N. Choubey, सचिव
आर.सेक्टर कर्मचारी संघ
सामूहिक सम्पर्क, मालक, भारतीय, सामूहिक
पर समर्थनकर्ता
को लिया गया। 20 OCT 2005
Sd/R. K. Tiwari
उप-संयोजक

(1) Sd/ Vijay Singh

(2) Sd/ A. Gupta
(अभय गुप्ता)

20 OCT 2005
माह तारीख ..... माह
सन् 199 को पुस्तक क्रमांक ..... के पृष्ठ
के पृष्ठ क्रमांक ..... से ..... तक
क्रमांक ..... देकर पंजीबद्ध किये गये।
(सुनी) 304 Sd/R. K. Tiwari
उप-संयोजक

:: प्रति ::

20 JUN 2025

Copy Applied on 20 JUN 2025
Search Fee Realized on 20 JUN 2025
Certified Copy Money Order and
Amount 20 JUN 2025
Postage 20 JUN 2025
Fee Copy Ready on 20 JUN 2025
Copy Delivered on 20 JUN 2025
Returned on 20 JUN 2025
Asst. Registrar
KOTA

8/109
20 JUN 2025

मुद्रांक शुल्क 15 50/-
पंजीयन शुल्क ..... 15 41=00
पृष्ठांकन शु. रु० १=०० 50=00
नकली शु. रु० २=०० 1591=00
मिलान शु. रु० .....
योग:- पन्द्रह सौ इक्यानवे

सत्यापित-प्रतिलिपि
उप पंजीयक
कोटा (राज.)

OP. 0